

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प.1(6)न्याय/2019

जयपुर, दिनांक 23/10/19


-::अधिसूचना::-

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26) के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.स	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या-7, उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर
2.	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या-4, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा

नोट:- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से


 23.10.19

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा/उदयपुर ।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली ।



(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव